


## जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जेपीडी/मुअ (वाणिज्य)/अअ (आर.ई.) प 120/प्रे. 763 जयपुर दिनांक: 31.7.07

विषय :- नाम बदला कर कृषि कनेक्शन का स्थान परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।


समन्वय समिति की दिनांक 11.07.07 को आयोजित 107 वीं बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में आदेश दिये जाते हैं कि :-

कृषि कनेक्शन का नाम बदलवाने के पश्चात दो वर्ष तक पंचायत समिति के किसी भी विद्युतीकृत गांव में कृषि कनेक्शन का स्थानान्तरण नहीं किया जायें।

  
(बी.एल.अप्रवाल)  
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उनके द्वारा उक्त तरह के आदेश प्रसारित करने हेतु ।
- 3-मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य/पवस-जयपुर/भरतपुर/कोटा जोन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/भरतपुर/कोटा ।
- 4-वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 5-अधीक्षण अभियन्ता(पवस/प्लान/विधि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.----- ।
- 6-प्रावेधिक सहायक,राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।
- 7-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(राम बाग सर्किल)जयपुर ।
- 8-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 9-अधिशाषी अभियन्ता(पवस/गिवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.----- ।
- 10-विशिष्ट सहायक,सलाहकार(एम),मुख्य मंत्री,सचिवालय,राज0सरकार,जयपुर ।
- 11-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 12-निजी सचिव,मा0उर्जा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर को मा0उर्जा मंत्री के सूचनार्थ ।
- 13-निजी सहायक,अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,राज0राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर को मा0अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ ।
- 14-निजी सहायक,प्रबन्धक निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर को मा0प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ ।
- 15-कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि./राज0राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.जयपुर को समन्वय समिति की 107वीं मितिग दिनांक 11 जुलाई 2007 के आईटम नं. 107.13 सन्दर्भ में।
- 16-इन्चार्ज,कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता( जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि,जयपुर

  
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)